राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY SRINAGAR

(An autonomous Institute of National Importance under the aegis of Ministry of Education, Govt. of India)

हजरतबल, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर, 190006, भारत





NOTICE

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि जम्मू और कश्मीर के बी.टेक प्रथम सेमेस्टर के छात्र (प्रवेश बैच 2025), जिनका एनआईटी श्रीनगर में प्रवेश के लिए जोसा/सीएसएबी-2025 काउंसलिंग के माध्यम से अनंतिम रूप से चयन हुआ है, के लिए छात्रावास सुविधा केवल उन्हीं छात्रों को प्रदान की जाएगी जिनका निवास स्थान संस्थान से 25 किलोमीटर से अधिक दूर है और आवास की उपलब्धता के अधीन है। संस्थान के 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले छात्र छात्रावास आवास के लिए पात्र नहीं होंगे और उन्हें डे स्कॉलर माना जाएगा।

यदि 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले किसी छात्र को गलती से छात्रावास का कमरा आवंटित कर दिया जाता है, तो ऐसे आवंटन की जाँच की जाएगी। यदि जाँच में पाया जाता है कि छात्र न्यूनतम दूरी के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो छात्रावास सुविधा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी।

यह नीति यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई है कि आवासीय सुविधाओं की वास्तविक आवश्यकता वाले छात्रों को छात्रावास आवास को प्राथमिकता दी जाए। सभी संबंधित छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे इस निर्णय पर ध्यान दें और तदनुसार आवश्यक व्यवस्था करें।

It is hereby notified that the hostel facility for B. Tech 1st semester students from Jammu & Kashmir (Admission Batch 2025), who are provisionally selected to join NIT Srinagar through JoSAA/CSAB-2025 counselling, will be provided only to those students whose place of residence is located beyond 25 kilometers from the Institute and subject to availability of accommodation. Students residing within a 25-kilometer radius of the Institute will not be eligible for hostel accommodation and will be treated as day scholars.

In case any student residing within 25 kilometers is mistakenly allotted a hostel room, such allotment will be subject to verification. If it is found upon verification that the student does not meet the minimum distance criteria, the hostel facility will be cancelled with immediate effect.

This policy has been adopted to ensure that hostel accommodation is prioritized for students with a genuine need for residential facilities. All concerned students are advised to take note of this decision and make necessary arrangements accordingly.

Dean Students Welfare

नं./No: NIT/DSW/2025/*56***9** दिनांक/Dated: 12-08-2025

प्रतिलिपि/Copy to:

- 1. सभी डीन, एचओडी, एचओसी सूचना एवं प्रसार हेतु। All Deans, HoDs, HoCs for information and circulation.
- 2. अध्यक्ष सीएससी को इस परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए। Chairman CSC for uploading this notice on the Institute Website.
- 3. समन्वयक ई-समर्थ/ईआरपी की जानकारी हेतु। Coordinator E-Samarth/ERP for information.
- 4. निदेशक के विशेष सचिव कृपया निदेशक की जानकारी के लिए |Special Secretary to Director for information of the Director please.
- 5. कृपया रजिस्ट्रार की जानकारी के लिए/P.S to Registrar for information of the Registrar.
- 6. सभी नोटिस बोर्ड | All notice boards.